Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड का प्रबन्ध संचालक 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 जून, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज हनुमानगढ़ में कार्यवाही करते हुये पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि दूध सप्लाई हेतु लगाये गये उसके दो वाहनों को बिना टेण्डर चलाये रखने और टेण्डर अवधि बढाने की एवज में पवन कुमार गोयल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ द्वारा **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद** एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये पवन कुमार गोयल पुत्र श्री रामजीलाल निवासी मकान नं0 आई–359, न्यू सिविल लाईन, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ हाल प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।